न्यायालय अवर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

सोनपुर सारण।

परिवाद सं0– 2685/2020

जांच सं0– 75/2021

दिनांक–09.08.2021

आज अभिलेख परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी नेहा सिन्हा के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सारण, छपरा के न्यायालय में दिनांक 02.01.2021 को दाखिल किया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा संज्ञान के पश्चात् परिवादपत्र को धारा 192(2) द0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है।

इस परिवाद पत्र के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी नेहा सिन्हा के द्वारा धारा 323, 341, 379 एवं 498(ए) भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियुक्तगण कमशः 1. शशांक शेखर 2. स्नेह लता 3. मयंक शेखर 4. पुष्पा सिन्हा एवं 5. स्मिता प्रसाद के विरूद्ध दाखिल किया गया है। परिवादिनी ने संक्षेप में परिवाद पत्र में कहा है कि उसकी शादी अभियुक्त शशांक शेखर के साथ हिन्दु रिति–रिवाज के अनुसार 6 फरवरी 2016 को पटना में संपन्न हुआ। शादी के शुभ अवसर पर परिवादिनी के माता–पिता ने उपहार स्वरूप गहना, कपड़ा, बर्तन और अन्य घरेलु सामान कीमत 15 लाख 8 हजार 650 रूपये का दिया गया तथा बारात एवं होटल खर्च के लिए 5 लाख रूपया नगद दिया गया था। शादी के समय और शादी के पश्चात् अभियुक्त सं0 1 परिवादिनी का पति शशांक शेखर, अभियुक्त सं0 2 साल स्नेह लता, अभियुक्त सं0 3 मयंक शेखर होण्डा सिटी कार की मांग दहेज के रूप में करने लगे। शादी के बाद ससुराल आने पर सभी अभियुक्तगण होंडा सिटी कार नहीं देने के कारण परिवादिनी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। परिवादिनी के द्वारा बच्ची

को जन्म देने के पश्चात् अभियुक्तगण काफी उग्र हो गए और परिवादिनी के साथ मार–पीट, गाली–गलौज करने लगे और खाना–पीना बंद कर दिए।

इस न्यायालय में परिवादिनी नेहा सिन्हा का दिनांक 10.02.2021 को शपथ पर बयान अंकित किया गया, जिसमें परिवादिनी ने परिवाद पत्र में किए गए कथन का समर्थन किया। परिवादिनी की ओर से अपने परिवाद पत्र के समर्थ में तीन जांच साक्षियों कमशः जांच साक्षी सं0 1. शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, जांच साक्षी सं0 2. शोभा रानी, जांच साक्षी सं0 3. विजय कुमार यादव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा धारा 202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उपरोक्त सभी तीन जांच साक्षियों का शपथ पर परीक्षा किया गया। सभी तीनों जांच साक्षियों ने परिवादिनी के साथ अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में होंडा सिटी कार नहीं दिए जाने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कथनों का समर्थन किया है। इस प्रकार, परिवाद पत्र परिवादिनी के शपथ पर बयान, जांच साक्षियों की परीक्षा के आधार पर अभियुक्तगण 1. शशांक शेखर 2. स्नेह लता एवं 3. मयंक शेखर के विरूद्ध धारा 341, 323, एवं 498(ए) भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। अभियुक्तगण पुष्पा सिन्हा एवं स्मिता प्रसाद के विरूद्ध प्रत्यक्षतः कोई मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण कमशः 1. शशांक शेखर 2. स्नेह लता एवं 3. मयंक शेखर इस परिवाद में धारा 341, 323 एवं 498(ए) भा0द0वि0 के अंतर्गत विचारण हेतु आहुत किए जाने योग्य है। अतः परिवादिनी को निर्देश दिया जाता है कि वह एक माह के भीतर अभियुक्तगण के विरूद्ध समन की अपेक्षिताएं दाखिल करें। तत् पश्चात् कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करें।

अग्रिम तिथि दिनांक 08.09.2021 को नियत की जाती है।

लेखापित

अ0मु0न्या0दण्डा0

सोनपुर सारण।